न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–499/2020 (GCMS No. 2020/00522) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. श्रीधर आयु 45 साल
2. फूलसिंह आयु 55 साल

} पिसरान स्व. श्री गंगाधर जाति गूर्जर निवासी तुलसीपुरा तहसील व जिला करौली राज0

.....अपीलांटस

बनाम

1. रजन पुत्र हरीले आयु 63 साल जाति गूर्जर निवासी ग्राम तुलसीपुरा तहसील व जिला करौली (राज.)

.....रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 10.02.2020 मुकदमा नम्बर 03/2015 उनवान रजन बनाम श्रीधर बगैराह बावत् प्रार्थना पत्र धारा 14(4) आवंटन नियम 1970।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री खेमसिंह चौधरी, वकील।

निर्णय दिनांक : 14.02.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 10.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम तुलसीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 308 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 20.06.1973 को अपीलांटस के पिता व मृतका गुलवी के पिता/पति श्री गंगाधर को किया गया था जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट रजन द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2020 को निर्णय पारित कर निगरानी स्वीकार कर आवंटन को निरस्त कर दिया गया तथा भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

गया। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2020 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी हेतु कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस को अपील पर सुना गया।

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांटस के पिता को दिनांक 20.06.1973 को ग्राम तुलसीपुरा के आराजी खसरा नम्बर 308 में से 3 बीधा भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट रजन द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2020 को निर्णय पारित कर निगरानी स्वीकार कर आवंटन को निरस्त कर भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया गया तथा तहसीलदार को पाबन्द किया गया कि उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण न करे तथा उपखण्ड अधिकारी उक्त भूमि को किसी सरकारी संस्था के लिए आवंटित किये जाने के प्रस्ताव भिजवायें। अपीलांटस व उसके पिता आवंटितशुदा भूमि पर निरन्तर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में अपीलांटस का ही कब्जा काश्त मौजूद है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती आ रही है। अपीलांटस की मॉ गुलवी बेवा गंगाधर जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाई हुई थी का स्वर्गवास दिनांक 11.08.2017 को ही हो चुका था। आदेश दिनांक 10.02.2020 को पारित किया गया है। रेस्पो. रजन द्वारा इसकी कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय को नहीं दी और न ही उसके समस्त वारिसान को रिकार्ड पर लाने की कार्यवाही अमल में लाई गई। इस तथ्य को अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया गया परन्तु उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया है। आवंटन के वाद अपीलांटस व उनके पूर्वज द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए काफी मेहनत व पैसा करीव डेढ लाख रूपया लगाया हुआ है जिस पर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं। तहसीलदार करौली द्वारा दिलाई गई रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट द्वारा साजिशन दर्शित कराई गई है जो मौके के खिलाफ है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 10.02.2020 न्यायालय जिला कलक्टर करौली निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने वकील अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस के पिता को को दिनांक 20.06.1973 को आराजी खसरा नम्बर 308 में 3 बीघा भूमि आवंटित हुई। जिसका कब्जा आवंटी को 1976 में दिया गया, परन्तु आवंटी एवं उसके

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

वारिसान द्वारा काश्त नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2036 से 2037, 2040 से 2043, 2044 से 2047, 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2056 से 2059 एवं 2060 से 2063 के अनुसार उक्त भूमि पडत/बंजड दर्ज है। केवल संवत् 2064, 2065 एवं 2066 में बाजरा की गिरदावरी में अपीलांटस की काश्त करना अंकित है। आवंटन के बाद काश्त नहीं की गई है। आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया गया है। तहसीलदार करौली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.11.2019 में उक्त खसरा नम्बर पर उक्त गैर खातेदार का पूर्व में एवं वर्तमान में कभी काश्त नहीं होना तथा वर्तमान में भी मौके पर भूमि पडत रहना बताया है। इस प्रकार आवंटी एवं उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया है और अपीलांटस अपने पक्ष को साबित करने में पूर्णरूपेण असफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 10.02.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर